

संत लाल बनाम बनाम हरियाणा राज्य, आदि (बाल राज तुली न्यायमूर्ति)

सिविल विविध  
बाल राज तुली न्यायमूर्ति के समक्ष

संत लाल, — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि, — उत्तरदाता

सिविल रिट 1971 की सं. 4574

26 मई, 1972

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (1961 का XXIII) जैसा कि पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1970 का XXV) द्वारा संशोधित किया गया है — धारा 12 (2) (सी) (iii) और 13 — पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम (1962)—Rules 21(3) and 21(5)— धारा 12 (2) (सी) (iii) — बाजार समिति के सदस्य के रूप में लाइसेंसधारक का नामांकन — इस तरह का लाइसेंस—क्या नामांकन की तारीख पर उसके पक्ष में वैध वर्तमान लाइसेंस होना चाहिए — नियम 21 (3) द्वारा अनुमत अवधि से अधिक किए गए आवेदन पर लाइसेंस का नवीकरण—क्या लाइसेंस की समाप्ति की मूल तारीख के बाद की तारीख से प्रभावी होता है—इस तरह का नवीनीकृत लाइसेंस—क्या नियम 21 (5) के तहत दिया गया नया लाइसेंस है?

पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 12 (2) (सी) (iii) में संशोधन किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि बाजार समिति के सदस्यों के रूप में नामित किए जाने वाले व्यक्ति उन लोगों में से होने चाहिए जिन्हें धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त है, अर्थात्, नामांकन किए जाने की तारीख पर, उनके पक्ष में एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसका लाइसेंस समाप्त हो गया है और जो इसे नवीनीकृत करके धारा 13 के तहत खुद को लाइसेंस प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है, उसे केवल इसलिए नामित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह पूर्वव्यापी प्रभाव से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। यह केवल वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी वर्ग के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया जा सकता है जो नामांकन की तारीख पर वास्तव में उस वर्ग से संबंधित हैं, न कि वे जो नामांकन के बाद, उस वर्ग से संबंधित माने जा सकते हैं।

(पैरा 5)

इसमें कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 21 (3) द्वारा अनुमत अवधि के भीतर अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है, तो लाइसेंस, जब नवीनीकृत किया जाता है, तो उस तारीख से प्रभावी नहीं होगा जिस पर यह समाप्त हो गया था। इस तरह के नवीकरण के बाद लाइसेंस को नियमों के नियम 21 (5) के तहत दिया गया एक नया लाइसेंस माना जाएगा।

(पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि 17 सितंबर, 1971 की आक्षेपित अधिसूचना (अनुलग्नक 'सी') की लागू की गई मदों संख्या (ii) और (iii) को रद्द करते हुए सर्टिओररी की प्रकृति में एक रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। मार्केट कमेटी, पटौदी के सदस्यों और कैप्टन शीश राम और मोहिंदर सिंह की उक्त मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव के परिणामी परिणाम 3 और 4 और आगे प्रार्थना करते हुए कि उत्तरदाता संख्या। सर्वश्री कैप्टन शीश राम और मोहिंदर सिंह प्रतिवादी संख्या 10 के नाम प्रकाशित करने से रोका जाए। (ख) सरकारी राजपत्र में बाजार समिति, पटौदी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में क्रमशः 3 और 4 और रिट याचिका के लंबित

रहने के दौरान उक्त प्रतिवादियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोकना और यह भी प्रार्थना करना कि प्रतिवादियों को स्थगन के अपेक्षित नोटिस की सेवा से हटा दिया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंद्र सिंह।

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (हरियाणा) सी. डी. दीवान

एम. आर. अग्निहोत्री, अधिवक्ता, उत्तरदाता 2 से 5 के लिए

### निर्णय

*बाल राज तुली न्यायमूर्ति*—पंजाब कृषि उपज मंडी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1970 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) द्वारा संशोधित पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 12 के तहत 17 सितंबर, 1971 को अधिसूचना द्वारा 17 सितंबर, 1971 को बाजार समिति, पटौदी का गठन किया गया था। इस बाजार समिति में उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि, अधिनियम की धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के चार प्रतिनिधि, अधिनियम की धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के दो प्रतिनिधि और क्षेत्र में सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि शामिल है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को इस समिति के आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। याचिकाकर्ता उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाली बाजार समिति का सदस्य है, प्रतिवादी संख्या 5 धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नामित सदस्य है, जबकि प्रतिवादी 6 से 8 अधिनियम की धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्य हैं। याचिकाकर्ता ने इन चारों प्रतिवादियों के नामांकन को चुनौती दी है। इन नामांकनों का बचाव करते हुए प्रतिवादी 1, 3 और 6 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं।

(2) याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत, धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्यों को नामित किया जाना है। प्रतिवादी संख्या 5, श्री डोला के पास धारा 13 के तहत लाइसेंस था जो 31 मार्च, 1969 को समाप्त हो गया था, और उसके बाद उनके नामांकन के बाद तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसलिए, 17 सितंबर, 1971 को, जब प्रतिवादी नंबर 5 को बाजार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, तो वह अधिनियम की धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति नहीं था। प्रतिवादियों के वकील ने पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 21 पर भरोसा किया है, जो निम्नानुसार है:—

“लाइसेंस का नवीकरण और उसकी प्रतिलिपि जारी करना:—

संत लाल बनाम बनाम हरियाणा राज्य, आदि (बाल राज तुली न्यायमूर्ति)

- (1) अधिनियम की धारा 10 या 13 के तहत दिया गया लाइसेंस उस अवधि के लिए वैध होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है और अधिनियम की धारा 10 (2) या नियम 19 (5) के तहत पारित किसी भी आदेश के अधीन, ऐसे लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क के भुगतान पर इसे प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा नवीनीकृत किया जाएगा। धारा 10 के तहत लाइसेंस के लिए फॉर्म एफ में और धारा 13 के तहत उन लोगों के लिए फॉर्म जी में नवीकरण आवेदन किया जाएगा।
- (2) यदि किसी क्षेत्र को किसी अधिसूचित बाजार क्षेत्र से बाहर रखा जाता है और दूसरे में शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार बहिष्कृत क्षेत्र के लिए धारा 10 और 13 के तहत जारी किए गए लाइसेंसों को अधिसूचित बाजार क्षेत्र की समिति द्वारा जारी किया गया माना जाएगा जिसमें वह क्षेत्र शामिल है और उस क्षेत्र की समिति द्वारा नवीनीकृत किया जाएगा।
- (3) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन उस तारीख से कम से कम तीस दिन पहले किया जाना चाहिए जिस पर लाइसेंस समाप्त होने वाला है:  
परन्तु लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, गोदामपाल के डीलर के लिए लाइसेंस के मामले में आवेदक द्वारा दस रुपये का जुर्माना या अन्य लाइसेंसों के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क की राशि के बराबर जुर्माना देने पर, लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद तीस दिनों के भीतर किए गए नवीकरण के लिए आवेदन दे सकता है। लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी दंड को पूरी तरह से या आंशिक रूप से भेज सकता है यदि वह संतुष्ट है कि देरी आवेदक के नियंत्रण से परे कारणों से थी।
- (4) इस नियम के तहत दिए गए लाइसेंस के प्रत्येक नवीकरण को उस तारीख से प्रभावी माना जाएगा जिस पर लाइसेंस समाप्त हो गया था।
- (5) उप-नियम (3) में किए गए प्रावधान को छोड़कर, लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद किए गए लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन को नए लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाएगा।
- (6) यदि अधिनियम की धारा 10 या 13 के तहत दिया गया लाइसेंस, या उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत नवीनीकृत लाइसेंस खो जाता है, तो लाइसेंसधारक द्वारा एक रुपये के शुल्क के भुगतान पर मूल जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा एक डुप्लिकेट जारी किया जा सकता है।
- (7) धारा 10 या धारा 13 के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए देय शुल्क का भुगतान संबंधित समिति को किया जाएगा।

(3) यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 21 (4) के अनुसार जब लाइसेंस को 17 सितंबर, 1971 के कुछ समय बाद नवीनीकृत किया गया था, तो यह उस तारीख से प्रभावी हुआ जिस पर यह समाप्त हो गया था, जिसका अर्थ है कि प्रतिवादी नंबर 5 को 1 अप्रैल, 1969 से धारा 13 के तहत लाइसेंस रखने वाला माना जाना चाहिए। मुझे खेद है कि मैं इस व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) (iii) का स्पष्ट अर्थ है कि व्यक्तियों को उन लोगों में से नामित किया जाना चाहिए, जिन्हें धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त है, अर्थात्, नामांकन किए जाने की तारीख पर, उनके पक्ष में एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि विधायिका का इरादा था कि एक व्यक्ति, जो धारा 13 के तहत खुद को लाइसेंस प्राप्त रखने में रुचि नहीं रखता है, उसे नामित किया जा सकता है और उसके बाद वह पूर्वव्यापी प्रभाव से अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस तरह की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगी, क्योंकि यह केवल वे व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी वर्ग के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया जा सकता है जो नामांकन की तारीख पर वास्तव में उस वर्ग से संबंधित हैं, न कि वे जो नामांकन के बाद, उस वर्ग से संबंधित माने जा सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने नियम 21 (3) द्वारा अनुमत अवधि के भीतर अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, अर्थात्, इसकी समाप्ति से 30 दिन पहले या इसकी समाप्ति के तीस दिन और इसलिए, लाइसेंस, जब नवीनीकृत किया जाता है, तो 1 अप्रैल, 1969 से प्रभावी नहीं हो सकता है। नवीनीकरण के बाद लाइसेंस को नियम 21 (5) के तहत दिया गया नया लाइसेंस माना जाना था। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिवादी संख्या 5, डोला, 17 सितंबर, 1971 को अधिनियम की धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में नामित होने का हकदार नहीं था। इसलिए, बाजार समिति के सदस्य के रूप में उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है।

(4) प्रतिवादी 6 से 8 हेली मंडी के डीलर हैं और अधिनियम की धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि हेली मंडी पटौदी मार्केट कमेटी के क्षेत्र में नहीं है और इसलिए, प्रतिवादी 6 से 8 को धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में मार्केट कमेटी, पटौदी के नामित सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि मार्केट कमेटी ने उनके पक्ष में धारा 10 के तहत लाइसेंस जारी किए थे। दिनांक 30 मई, 1962 की अधिसूचना द्वारा बाजार समिति, पटौदी के क्षेत्र को निम्नानुसार घोषित किया गया था:-

एन.ई.एस. ब्लॉक, पटौदी, तहसील रेवाड़ी, जिला गुड़गांव में आने वाले सभी गांवों की राजस्व संपदा।

राज्य में अधिसूचित ग्राम सभा क्षेत्रों के ब्लॉकवार नाम (31 मई, 1962 तक सही) नामक एक प्रकाशन तैयार किया गया है, जिसमें उक्त ब्लॉक में शामिल ग्राम सभाओं के नाम उन ग्राम सभाओं में शामिल किए गए गांवों और टीकाओं के साथ रखे गए हैं। पटौदी एन.ई.एस. ब्लॉक में ग्राम सभा जाटौली और गांव जटौली शामिल हैं। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अनुसार, न तो पूरे और न ही किसी भी वर्ग की नगरपालिका के किसी भी हिस्से को सभा क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रकाशन से यह स्पष्ट है कि हेली मंडी, जो एक नगरपालिका है और एक समय में गांव जाटौली का हिस्सा थी, को एनईएस ब्लॉक, पटौदी में केवल इसलिए शामिल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस ब्लॉक में गांव, जाटाऊजी और ग्राम सभा जाटौली को शामिल

किया गया है। ग्राम सभा जाटौली का गठन हैली मंडी के नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर केवल गांव जाटौली के लिए किया जा सकता है। हालांकि, 10 सितंबर, 1971 को हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पूरे गांव जाटौली को पटौदी मार्केट कमेटी के अधिसूचित बाजार क्षेत्र में शामिल करने के लिए बास्ट नंबर 7 घोषित किया गया। इस अधिसूचना के आधार पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि हैली मंडी एचएडी नंबर 7 में स्थित है, और इसलिए, इस अधिसूचना द्वारा इसे पटौदी बाजार समिति के बाजार क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिसूचित बाजार समिति के भीतर नगरपालिका क्षेत्र को शामिल करना सरकार के लिए खुला है। अधिसूचना की एक प्रति तैयार की गई है जिसके तहत बल्लभगढ़ और पटौदी की नगरपालिका सीमाओं को उस नाम की संबंधित बाजार समिति के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया था। प्रतिवादी 2 से 5 के वकील की ओर से कहा गया है कि कल्याण दास, प्रतिवादी नंबर 6, और हैली मंडी के कुछ अन्य डीलरों ने अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी की अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें निर्धारण के लिए मुद्दों में से एक यह है कि क्या हैली मंडी पटौदी बाजार समिति के अधिसूचित बाजार क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं और इस मामले को उसी में निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। सूट। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 1967 के आपराधिक संशोधन संख्या 24 में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया है, जो 2 मई, 1968 को तय किया गया था, जिसमें कहा गया था कि:

"इसमें कोई संदेह नहीं है, हैली मंडी गांव जाटौली के क्षेत्र के भीतर स्थित है, लेकिन यह एक नगरपालिका समिति होने के नाते एनईएस ब्लॉक पटौदी के भीतर नहीं आ सकती है। इसलिए इसे पटौदी की राजस्व संपत्ति नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, हैली मंडी, जहां आरोपी-आवेदक की दुकान स्थित है, बाजार समिति, पटौदी का अधिसूचित क्षेत्र नहीं है और इस तरह आरोपी-आवेदक को नियमों के नियम 31 के तहत रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं थी।

(5) इस निर्णय के संदर्भ में, प्रतिवादियों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ऊपर उल्लिखित प्रकाशन में एनईएस ब्लॉक, पटौदी में उल्लिखित क्षेत्रों पर आधारित था, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार द्वारा 10 सितंबर, 1971 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसके द्वारा हैली मंडी के नगरपालिका क्षेत्र को बाजार समिति के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। पटौदी। इस रिट याचिका के प्रयोजन के लिए, मैं मानता हूं कि 10 सितंबर, 1971 की अधिसूचना के आधार पर, हैली मंडी के नगरपालिका क्षेत्र को बाजार समिति, पटौदी के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है, और प्रतिवादी 6 से 8 के नामांकन क्रम में थे। इस मामले का निर्णय सिविल मुकदमों में अधिक संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है जो पहले से ही अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी, जिला गुड़गांव की अदालत में दायर किए गए हैं, जिसमें साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे। याचिकाकर्ता उस अदालत के किले में आवेदन कर सकता है जिसे उन मुकदमों के प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उसके निर्णय में रुचि है। इस फैसले में कहीं भी बात को इस मामले को अंतिम रूप से तय करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए।

(6) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं मानता हूं कि प्रतिवादी नंबर 5 का नामांकन कानून के विपरीत था और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाता है, लेकिन प्रतिवादी 6 से 8 के नामांकन को बरकरार रखा जाता है।

(7) चूंकि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में, प्रतिवादी संख्या 5 ने भाग लिया, इसलिए उस

चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। नतीजतन, बाजार समिति, पटौदी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी 3 और 4 का चुनाव रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 के नामांकन को रद्द करने के परिणामस्वरूप रिक्ति को भरने के बाद इन कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित किया जा सकता है। रिट याचिका तदनुसार तय की जाती है और आंशिक सफलता को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

बी.एस.जी.

**अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

खुश करण जोत सिंह गिल  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी